

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
पत्रांक /2-6 दिनांक, गोरखपुर, दिसम्बर, 22 /2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
गोरखपुर।

विषय: जनपद गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0-29 ई (किमी0 83+308) से एन0एच0-28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 4.946 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/170/2023/एफ.सी./445 दिनांक-11.12.2023
महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव की सैद्धान्तिक भारत सरकार के संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा बिन्दु सं0-1 से 27 बिन्दुओं सहित कुल 27 शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए शर्त सं0-3 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण की धनराशि तथा शर्त सं0-4 के क्रम में एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) में ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से जमा करते हुए सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित दो प्रतियों इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे दिये गये निर्देशानुसार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के माध्यम परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को ऑनलाईन प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने का अनुरोध किया जा सकें।

सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगाई गयी शर्त सं0-3 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण की धनराशि तथा शर्त सं0-4 के क्रम में एन0पी0वी0 (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	विवरण	मद	धनराशि (रु0 में)
1	2	3	4
1.	शर्त सं0-3 के अनुपालन में प्रभावित 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के दूने अर्थात् 9.892 हे0 अवनत वन भूमि फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0 क0नं0-1 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण हेतु वर्तमान मजदूरी दर रु0 230/- के आधार पर आकलित धनराशि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के अनुरक्षण की धनराशि	77,64,210.00
2.	शर्त सं0-4 के अनुपालन में प्रभावित 4.946 हे0 की शुद्ध वर्तमान मूल्य 1595790.00 रु0 प्रति हे0 की दर से (एन0पी0वी0)	(N.P.V) शुद्ध वर्तमान मूल्य $4.946 \times 1595790 = 7892778.00$	78,92,778.00
	कुल योग-		1,56,56,988.00

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

संख्या

2781

अ/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

(विकास यादव)

प्रभागीय वनाधिकारी

गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

स्थल का नाम:-फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

क्र0सं0	कार्य का विवरण	वित्तीय वर्ष	मात्रा (हे0 में)	प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	अग्रिम मृदा कार्य	2023-24	9.892	4872130.00
2	वृक्षारोपण कार्य	2024-25	9.892	652400.00
3	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	2025-26	9.892	435750.00
4	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	2026-27	9.892	301100.00
5	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	2027-28	9.892	301100.00
6	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	2028-29	9.892	398400.00
7	पंचम वर्ष अनुरक्षण	2029-30	9.892	298400.00
8	षष्ठम् वर्ष अनुरक्षण	2030-31	9.892	71760.00
9	सप्तम् वर्ष अनुरक्षण	2031-32	9.892	171750.00
10	अष्टम् वर्ष अनुरक्षण	2032-33	9.892	71760.00
11	नवम् वर्ष अनुरक्षण	2033-34	9.892	71760.00
12	दसम् वर्ष अनुरक्षण	2034-35	9.892	117900.00
	योग-			7764210.00

(अनुज कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरेन्दा रेंज

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

Project Director
PIUNHAI
Gorakhpur

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाघक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2023-24)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध रु0 230/- प्रतिमानव दिवस के आधार पर

अग्रिम मूदा कार्य

क्र0सं0	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई	चौड़ाई	ग0/मो0	मात्रा	ईकाई	दर	धनराशि
1	समतलीकरण व बड़ी झाड़ी कटाई एवं मलवा निस्तारण एवं वृक्षों के डालियों का कटाई छटाई कार्य							LS	10000.00
2	मूदा परीक्षण					9.892	हे0	457.75	4528.06
3	गडदों की पवित्र बंधन					10882	संख्या	0.45	4896.90
4	गडदा खुदान (0.45X0.45X0.45) अर्थात्ग द्वारा					10882	संख्या	12.00	130584.00
5	इगिल पोस्ट जाम करने हेतु नीव खुदान Si. No. 251	635	0.23	0.23	0.45	15.12			
						15.12	घ0मी0	120.00	1814.40
6	आयरन इगिल जाम करने हेतु 1:2:4 सीमेंट, मोरंग, पत्थर मिट्टी से फाउंडेशन निर्माण SI No.283	635	0.23	0.23	0.45	15.12			
						15.12	घमी0	7735.00	116953.20
7	इगिल आयरन का कय (65mmX65mmX6mm) 7.5 किग्रा0 प्रति मी0X 2.5 मी0=18.75 kg (बाजार दर के अनुसार)	18.75x635=11907				11907	किग्रा0	90.00	1071630.00
8	कय(32X32X3mm)=1870x5.0=9350mtr.X 1.1 kg (बाजार दर के अनुसार)	9350X1.1 kg=10285				10285	किग्रा0	90.00	925650.00
9	पटिया का कय (25X3mm)=1870x5.0 (बाजार दर के अनुसार)	870 मी0X5.0=9350x0.625 kg=584				5844	किग्रा0	90.00	525960.00
10	जाली का कय 15 मी0X1.5 मी0 का वनज 75 किग्रा होता है (बाजार दर के अनुसार)	1870 मी0X5.0=9350 kg				9350	किग्रा0	100.00	935000.00
11	जाली फिटिंग एवं बेल्डिंग कार्य					1870	मीटर	500.00	935000.00
12	जाली पेडिंग कार्य SI No.02	2	1870	1.5		5610	वर्गमी0	27.00	151470.00
13	अन्य विविध व्यय							LS	10000.00
योग									4823486.56
क्रमांक-5, 6 एवं 12 के अनुसार रु0 270237.60 पर GST 18%									48642.77
कुल योग									4872129.33
या									4872130.00

(अनुज कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरेन्दा रेंज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2024-25)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

रु0 230/- प्रतिमानव दिवस के आधार पर

वृक्षारोपण कार्य

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गडढा भरान कार्य (0.45X0.45X0.45) सेमी0 (गोबर खाद सहित)	गडढा	10882	1.54	16758.28
2	कीटनाशक का मूल्य डलवाई	पौध	10882	0.90	9793.80
3	गडढो / माउण्डो हेतु मृदा सुधारक / गोबर की खाद का प्रयोग	प्रति पौध	10882	3.00	32646.00
4	पिण्डी पौध का मूल्य 03 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	11209	23.00	257807.00
7	थैली पौध का ढुलान कार्य किमी0 10-20 तक	प्रति ट्राली	12	3000.00	36000.00
8	पौध का ढुलान कार्य स्थल से रोपण स्थल तक	पौध	10882	0.56	6093.92
9	पौध रोपण मय थाला बनवाई एवं तुरन्त सिंचाई कार्य	पौध	10882	6.44	70080.08
11	पौध की सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 03 बार विभागीय टैक्टर व टेंकर के द्वारा	पौध	10882	3.32	108384.72
12	पौधों की निराई गुड़ाई 02 बार	पौध	10882	1.46	31775.44
13	रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	पौध	10882	1.29	14037.78
14	वृक्षारोपण बोर्ड	अदद	1	5250.00	5250.00
15	एक पशु रक्षक प्रति हे0 प्रति माह 09 माह तक (जुलाई-मार्च)	माह	9	5980.00	53820.00
16	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0		10000.00
				योग-	652447.02
				या	652400.00



(अनुज कुमार)

क्षेत्रीय वनाधिकारी

फरेन्दा रेंज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2025-26)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

रु0 230/- प्रतिमानव दिवस के आधार पर

अनुरक्षण प्रथम वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 06 बार	प्रति पौध	10882	3.32	216769.44
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (02 बार)	प्रति पौध	10882	1.46	31775.44
3	10 प्रतिशत बिटिंगअप कार्य हेतु गडढा खुदान (0.30X0.30X0.30) मी0	प्रति गडढा	1089	4.60	5009.40
4	पिण्डी पौध का मूल्य 03 प्रतिशत अतिरिक्त पौध	प्रति पौध	1121	23.00	25783.00
5	पौध ढुलान कार्य किमी0 0-10 तक	प्रति ट्राली	1	3000.00	3000.00
6	पौधों का स्थानीय ढुलान कार्य	प्रति पौध	1089	0.56	609.84
7	पौधों का रोपण कार्य	प्रति पौध	1089	6.44	7013.16
8	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
9	तारबाड़ मरम्मत कार्य	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	50000.00
10	रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	पौध	10882	1.29	14037.78
11	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	10000.00
				योग-	435758.06
				या	435750.00

(अनुज कुमार)

क्षेत्रीय वनाधिकारी

फरेन्दा रेंज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2026-27)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

रु0 230/- प्रतिमानव दिवस के आधार पर

वृक्षारोपण अनुरक्षण द्वितीय वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 03 बार (टेंकर द्वारा)	प्रति पौध	10882	3.32	108384.72
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (01 बार)	प्रति पौध	10882	1.46	15887.72
3	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
4	पौधों की प्रुनिंग कार्य	प्रति पौध	10882	9.20	100114.40
5	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	5000.00
				योग-	301146.84
				या	301100.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण तृतीय वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2027-28)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 03 बार (टेंकर द्वारा)	प्रति पौध	10882	3.32	108384.72
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (01 बार)	प्रति पौध	10882	1.46	15887.72
3	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
4	पौधों की प्रुनिंग कार्य	प्रति पौध	10882	9.20	100114.40
5	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	5000.00
				योग-	301146.84
				या	301100.00



(अनुज कुमार)

क्षेत्रीय वनाधिकारी

फरेन्दा रेंज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2028-29)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0कं0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

रु0 230/- प्रति मानव दिवस के आधार पर

वृक्षारोपण अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 03 बार (टेंकर द्वारा)	प्रति पौध	10882	3.32	108384.72
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (01 बार)	प्रति पौध	10882	1.46	15887.72
3	वृक्षारोपण 2 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
4	पौधों की प्रुनिंग कार्य	प्रति पौध	10882	9.20	100114.40
5	चैनल फेन्सिंग मरम्मत कार्य	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	100000.00
6	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	2300.00
				योग-	398446.84
				या	398400.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण पंचम वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2029-30)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	पौधों की सिंचाई 03 बार (टेंकर द्वारा)	प्रति पौध	10882	3.32	108384.72
2	पौधों की निराई-गुड़ाई (01 बार)	प्रति पौध	10882	1.46	15887.72
3	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
4	पौधों की प्रुनिंग कार्य	प्रति पौध	10882	9.20	100114.40
5	अन्य आकस्मिक व्यय	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	2300.00
				योग-	298446.84
				या	298400.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण षष्ठम् वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2030-31)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
	योग-				71760.00

(अनुज कुमार)

क्षेत्रीय वनाधिकारी

फरेन्दा रेंज

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन0एच0 29ई (किमी0 83+308) से एन0एच0 28 (किमी0 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.451 हे0 संरक्षित वन भूमि सहित कुल 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 1390 बाधक वृक्षों के पातन हेतु प्रयुक्त 4.946 हे0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0क0नं0-1 (सूरपार बीट) में दोगुने अर्थात् 9.892 हे0 भूमि पर चैनल फेन्सिंग में ब्लाक वृक्षारोपण सहित 10 वर्षों का अनुरक्षण हेतु प्राक्कलन।

प्रभाग का नाम:- गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।

(वित्तीय वर्ष: 2031-32)

स्थल का नाम:- फरेन्दा रेंज अन्तर्गत पं0ले0क0नं0-1 (सूरपार बीट)।

क्षेत्रफल :- 9.892 हे0

रोपित पौधों की संख्या = $1100 \times 9.892 = 10882$ पौध

रु0 230/- प्रति मानव दिवस के आधार पर

वृक्षारोपण अनुरक्षण सप्तम् वर्ष

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
2	चैनल फेन्सिंग मरम्मत कार्य	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	100000.00
	योग-				171760.00
	या				171750.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण अष्टम् वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2032-33)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
	योग-				71760.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण नवम् वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2033-34)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 12 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	12	5980.00	71760.00
	योग-				71760.00

वृक्षारोपण अनुरक्षण दसम् वर्ष

(वित्तीय वर्ष: 2034-35)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वृक्षारोपण 1 श्रमिक की पारिश्रमिक 03 माह अप्रैल से मार्च तक	माह	3	5980.00	17940.00
2	चैनल फेन्सिंग मरम्मत कार्य	ल0सं0	ल0सं0	ल0सं0	100000.00
	योग-				117940.00
	या				117900.00

(अनुज कुमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरेन्दा रेंज



भारत सरकार
Government of India

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8वीं/यू०पी०/०६/१७०/२०२३/एफ.सी. 145

दिनांक : 11.12.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/ROAD/148672/2021

विषय: जनपद-गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन०एच०-29ई (किमी० 83+308) से एन०एच०-28 (किमी० 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 4.946 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1366/11-सी-FP/UP/Road/148672/2021, दिनांक 30.11.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-195/81-2-2023-800(186)/2023, दिनांक 13.07.2023 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करना है कि केन्द्र सरकार जनपद-गोरखपुर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा 4/6 लेन उत्तर-पूर्व गोरखपुर बाईपास के निर्माण हेतु एन०एच०-29ई (किमी० 83+308) से एन०एच०-28 (किमी० 285+100) तक प्रभावित भूमि 4.495 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 0.451 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 4.946 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1390 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 9.892 ha. degraded forest land in Compartment No. 1 Surpar Beat, Range Pharenda, Gorakhpur Forest Division at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 4.946 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.

Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
6. User agency shall restrict the felling of trees to 1390 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju v/s State of Rajasthan and others dated 16.11.2015.
9. **The User Agency to explore transplanting of trees in consultation and guidance of Forest Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and location of such transplanted trees shall be submitted.**
10. Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas.
11. The user agency shall provide suitable under / over pass in Protected Area / Forest Area as per recommendations of CWLW / NBWL / FAC / REC.
12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
14. No labour camp shall be established on the forest land.
15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
23. The violation of any of the conditions stipulated under this approval will be liable to the cognizance and appropriate action under MoEFCC rules and Guidelines as applicable, specifically MoEFCC Guidelines dated 15/05/2023, authorizing officers of the rank of Divisional Forest Officer (DFO)/Deputy Conservator of Forests (DCF) and above of the State Government or Union territory Administration concerned, having jurisdiction over the forest land in respect of which any offence under the Forest (Conservation) Act, 1980 is committed or violation of the provisions of the said Act has been made, to file complaints against such person/authority/organization, prima-facie found guilty of offence under the Act or the violation of the rules made thereunder, in the court having jurisdiction in the matter.

24. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.
25. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
26. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).
27. The compliance report shall be uploaded on *e-portal* (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीय,



(डा० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा)

1. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, गोरखपुर।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।



(डा० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]